भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3312
दिनांक 05 अगस्त, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय पोषाहार रक्ताल्पता रोगनिरोध कार्यक्रम

3312. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्री जगन्नाथ सरकार:
श्रीमती शारदा अनिल पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पोषाहार रक्ताल्पता रोगनिरोध कार्यक्रम की समीक्षा की है या समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): वर्ष 2018 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रमों की समीक्षा की और महिलाओं, बच्चों और किशोरों/ किशोरियों जैसे संवेदनशील आयु वर्गों के लाभार्थियों को शामिल करने के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण को अपनाया।
भारत सरकार ने जीवन चक्र दृष्टिकोण में महिलाओं, बच्चों और किशोरों/ किशोरियों में एनीमिया को कम करने के लक्ष्य के साथ प्रधान मंत्री समग्र पोषण संबंधी व्यापक योजना (पोषण) अभियान के तहत वर्ष 2018 में एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति शुरू की है। एएमबी के तहत 6x6x6 कार्यनीति का तात्पर्य छह आयु वर्गों, छह कार्यक्रमों और छह संस्थागत तंत्रों से है।

एएमबी कार्यनीति का उद्देश्य मजबूत संस्थागत तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किए गए नए कार्यक्रमों के द्वारा छह लाभार्थी समूहों- 6-59 माह के बच्चों, 5-9 वर्ष के बच्चों, 10-19 वर्ष के किशोरों, प्रजनन आयु (15-49 वर्ष) वाली महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कवर करना है। एनीमिया मुक्त भारत कार्यनीति के अंतर्गत छह कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं: रोगनिरोधी आयरन फोलिक एसिड संपूरण; कीटनाशन, विलंबित कॉर्ड क्लैंपिंग सुनिश्चित करने सहित वर्ष भर में गहन व्यवहार परिवर्तन संसूचना अभियान, डिजिटल तरीकों और परिचर्या उपचार स्थल का उपयोग करके एनीमिया की जाँच स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन फोलिक एसिड फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का अनिवार्य रूप से प्रावधान; मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में एनीमिया के गैर-पोषण संबंधी कारणों का निराकरण। इस कार्यनीति को लागू करने संबंधी संस्थागत तंत्र में शामिल हैं- अंतर मंत्रालयी समन्वय, अन्य मंत्रालयों के साथ समरूपता; आपूर्ति श्रृंखला और संभार तंत्र को मजबूत करना; स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता और एनीमिया नियंत्रण पर उन्नत अनुसंधान करना; और एएमबी डैशबोर्ड और डिजिटल पोर्टल का उपयोग करके निगरानी करना।

***